न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 01/2022(2022/50)

1. श्रीमति खानी देवी पत्नी श्री गोपाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी देवपुरा(कादेडा) तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. देवकरण पुत्र श्री बालू गुर्जर।
2. रामलाल पुत्र श्री बालू गुर्जर।
3. किशनलाल पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर।
4. उदाराम पुत्र छीतर गुर्जर।
5. कैलाश पुत्र श्री छीतर गुर्जर।
   समस्त निवासीगण देवपुरा(कादेडा) तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री सीताराम कुमावत
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनाक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण सक्षेप मे राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम देवपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी सवत **2070—73** मे दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
334—165	697 698	0.17 0.56	चाही 2 चाही 2
	कुल किता 2	रकबा 0.73हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थिया की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थिया ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चली आ रही है। प्रार्थिया ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चली आ रही है प्रार्थिया की उक्त आराजीयात की सीमाए अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण प्रार्थिया की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। सीमा चिन्हो को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पश किया जा रहा है प्रार्थिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी नही करवाई गई तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लडाई झगडा एव अशाति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सख्या 6 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी सख्या 6 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढी के आदेश लेकर आओ अत प्रार्थना पत्र के समक्ष पेश करना

Signature Not Verified

Digitally Signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:46:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी करान का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में बताया कि राजहित प्रभावित नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की और से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कि गई। कि पूर्व में नक्शा दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र उपखण्ड न्यायालय में पेश किया गया उस आदेश की पालना होने पर पत्थरगढी की जावे तो आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवान के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवपुरा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता संख्या नया पुराना 334–165 के कुल किता 2, कुल रकबा 0.73हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक सदस्य/अधिकारी
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:46:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner